39–(08)–27–2015

पटना में दिनांक–18 अगस्त, 2015 मंगलवार को अपराह्न 06:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ग्रामीण कार्य विभाग

1. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देश के आलोक में राज्य में "सबके लिए आवास (शहरी) योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त होने वाली धन राशि के आलोक में बजटीय उपबंध के अन्तर्गत राज्यांश की अनुपातिक राशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण योजना में केन्द्रांश 1.50 लाख रूपये प्रति आवास के अतिरिक्त राज्य सरकार का अंशदान 50,000/–रू० प्रति आवास की स्वीकृति प्रदान की जाय।

2. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3. बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०–2/2000 के अन्तर्गत समादेश याचिका सं०–10901/06 के वादीगण को पुरानी पेंशन योजना के तहत सुविधा देने की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के द्वारा अनुशंसित आहार भत्ता (RDA) के आलोक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, महाविद्यालय अस्पतालों तथा देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के अस्पतालों में अन्तर्वासी रोगियों के लिए आहार (पथ्य) दर 50/– (पचास) रूपये प्रतिदिन प्रति मरीज को संशोधित कर 100/–(एक सौ) रूपये प्रतिदिन प्रति मरीज करने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5. डा० नीलम, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, महगामा, गोड्डा के बर्खास्तगी का प्रस्ताव।

5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. जय प्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के परिसर में उपलब्ध 7.00 (सात) एकड़ रिक्त भूमि में लोक निजी भागीदारी के तहत अतिविशिष्ट अस्पताल स्थापित करने हेतु सफल निविदादाता Global Health Private Limited (Medanta) को निविदा शर्त्तों के आधार पर Bid Document के अधीन 33 वर्षों के उपयोग की अनुमति एवं अतिविशिष्ट अस्पताल, Design, Build, Finance, Operate & Transfer के माध्यम से, निर्माण एवं संचालन हेतु उपलब्ध कराने, Letter of Award जारी करने तथा इस हेतु Concessionaire के साथ Concession Agreement हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के चयनित शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन (AMRUT) योजना के कार्यान्वयन, राज्य योजना मद में उपलब्ध राशि से राज्यांश के व्यय, भविष्य में आगामी वर्षों में राज्य योजना मद में इस योजना के राज्यांश के लिए राशि प्रावधानित करने की व्यवस्था एवं योजना के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत State High Power Sanctioning Committee तथा राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के गठन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्यांश के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति।

7. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

8. राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बिहार राजेन्द्र नगर, पटना का नाम परिवर्तित कर भरत प्रसाद सिन्हा (बी०पी० सिन्हा) राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बिहार, पटना किये जाने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

9. पंचदश बिहार विधान सभा का सप्तदश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 180वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

10. कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार की स्थापना की स्वीकृति तथा प्रस्तावित संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू० 131.71 करोड़ (एक सौ एकतीस करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

10. स्वीकृत।

विधि विभाग

11. न्यायमंडल मधुबनी के अधीन बेनीपट्टी अनुमंडलीय न्यायालय में 01 (एक) अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी एवं 03 (तीन) न्यायिक दण्डाधिकारी के लिए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल–28 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

11. स्वीकृत।

विधि विभाग

12. श्री भृगुनाथ तिवारी, सेवानिवृत्त अनुवाद पदाधिकारी (से०नि०–30.04.2011), सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प सं०–2804, दिनांक–29.03.2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में विहित प्रावधान के आलोक में सहायक निदेशक (अनुवाद)–सह–सहायक विधान काउन्सेल के रिक्त पद पर दिनांक–02.05.2015 से दिनांक–01.04.2016 तक के लिए पुर्ननियोजित किये जाने के संबंध में।

12. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

13. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन गुणात्मक एवं सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 3802 कि०मी० तारों के मरम्मति, रख–रखाव एवं तारों का भार वहन क्षमता विस्तार /एरियाल बंच केबुल लगाने की 130.38 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

14. जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर नियोजित 52 (बावन) कनीय अभियंता (याँत्रिक) का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में।

14. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों यथा–आई०आई० टी०, एन०आई०टी०, एन०आई०एफ०टी०, एन०एल०यू० आदि के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (सरकारी संस्थान हेतु निर्धारित), राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वर्ष 2013–14 में निर्धारित दर (अधिकतम ₹ 15,000/–) तथा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए विगत वित्तीय वर्ष 2014–15 की तहर संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति का अधिकतम सीमा का निर्धारण करने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।

15. **स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

16. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के अधीनस्थ सहायक निबंधन महानिरीक्षक (प्रमण्डलीय) का कार्यालय के आशुलिपिकों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों के विनियमन के लिए बिहार क्षेत्रीय [सहायक निबंधन महानिरीक्षक (प्रमण्डलीय) का कार्यालय] आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2015 के गठन का प्रस्ताव।

16. **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

17. डा० कौशल कुसुम, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना (तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद) की अनुसूचित जाति के पासी जाति के फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में की गयी नियुक्ति जो विभागीय संकलप–830 नि०गो० दिनांक–08.12.2014 के द्वारा रद्द किया गया है, को एल०पी०ए० संख्या–309/2010 एवं एम०जे०सी० सं०–104/2015 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–08.07.2015 के आलोक में इस शर्त्त के साथ वापस लिये जाने का निर्णय है कि उक्त मामले में अंतिम रूप से पारित न्यायादेश के फलाफल के आलोक में यह निर्णय प्रभावित होगा, की स्वीकृति के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

18. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के अधीन स्वीकृत उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय का नामाकरण नालंदा उद्यान महाविद्यालय करने की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

19. "बोरलॉग इन्सटीच्यूट फॉर साउथ एशिया" को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था घोषित किये जाने के फलस्वरूप, इस संस्था द्वारा राज्य के अंदर क्रय किये जाने वाले बस्तुओं पर बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में। 19. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

20. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 से सहायक अनुदान–वेतन मद में वार्षिक अनुदान रू० 20.00 लाख से बढ़ाकर 80.00 लाख रूपये करने एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवशेष राशि 60.00 लाख रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। 20. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

21. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 से सहायक अनुदान वेतन मद में वार्षिक अनुदान 50.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 200.00 लाख रूपये करने एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बजट में उपबंधित राशि 50.00 लाख रूपये की निकासी तथा बढ़ोत्तरी के उपरांत अवशेष राशि (200.00 लाख रूपये 50.00 लाख रूपये=150.00 लाख रूपये) 150.00 लाख रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। 21. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

22. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के विनियम 19 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनकी ज्ञात सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1,00,000/–(एक लाख रूपये) से अधिक नहीं हो और विधि सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा–12 तथा बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम की धारा–17 के अधीन कानूनी सहायता के पात्र हैं, को कोर्ट–फीस, प्रोसेस–फीस एवं वकालतनामा–फीस का परिहार की स्वीकृति। 22. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

23. "वित्त रहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शैक्षणिक सत्र 2009–11, 2010–12 एवं 2011–13 में सरकारी अनुदान हेतु ₹ 5,92,58,22,800/–(पाँच अरब बानवे करोड़ अंठावन लाख बाईस हजार आठ सौ) रूपये की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 2,85,00,00,000/–(दो अरब पचासी करोड़) रूपये मात्र की वित्तीय वर्ष 2015–16 में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

24. बिहार राज्यान्तर्गत रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखण्ड मुख्यालय में विशेष परिस्थिति में एक सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

24. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

25. राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत (कुल 8398 ग्राम पंचायतों) को प्रशासनिक व्यय के लिए ₹ 4000.00/–(चार हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹ 3,35,92,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बयानबे हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति।

25. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

26. वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग की मांग संख्या 16 में उपबंधित राशि के प्रत्यर्पण के विरूद्ध योजना एवं विकास विभाग की मांग संख्या–35 के अन्तर्गत राज्य योजना मद में कुल ₹ 124.00 करोड़ (एक अरब चौबीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने की स्वीकृति के संबंध में।

26. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीननगर अंचल के मौजा–सिवैसिंगपुर के थाना नं०–147, खाता सं०–324 पुराना, 857 नया, खेसरा सं०–135 पुराना 740 नया रकबा–4.85 एकड़ (चार एकड़ पचासी डिसमिल) अनावाद सर्वसाधारण धनहर–2 भूमि 4800 रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से विद्युत ग्रीड निर्माण हेतु 23,28,000/–(तेईस लाख अठाईस हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा कुल–52,38,000/–(बावन लाख अड़तीस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. बेगूसराय जिलान्तर्गत छौड़ाही अंचल के मौजा–परोड़ा, थाना सं०–119 के खाता सं०–208, खेसरा सं०–2013, रकवा–0.59 एकड़ भूमि, किस्म–गैर मजरूआ मालिक को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 9,000.00 रू० प्रति डिसमिल की दर से 5,31,000.00 रू० सलामी तथा सलामी के दो प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात्–2,65,500.00 रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–7,96,500.00 रू० (सात लाख छियानवे हजार पांच सौ रूपए) के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल के मौजा–मटियाही थाना सं०–166 के खाता सं०–281, खेसरा सं०–457, 458, रकबा क्रमशः 0.05 एकड़, 0.27 एकड़ तथा खाता सं०–125, खेसरा सं०–459, रकबा–0.28 एकड़ कुल–0.60 एकड़ भूमि जो जल संसाधन विभाग, बिहार की है, को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 3,50,000.00 रू० प्रति डिसमिल की दर से 2,10,00,000.00 रू० सलामी तथा सलामी के दो प्रतिशत आवासीय लगान का 25 गुणा अर्थात–1,05,00,000.00 रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–3,15,00,000.00 रू० (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

29. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

30. वैशाली जिलान्तर्गत महनार अनुमण्डल के सहदेई बुजुर्ग अंचल के ग्राम–चकजमाल, थाना नं०–528 में विभिन्न खाता सं० एवं खेसरा सं० (अनु०–I) में वर्णित 3.66 एकड़ भूमि, जो प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय परिसर की अंश भूमि है, को बाजार मूल्य–6,58,80,000/–(रू० छः करोड़ अनठावन लाख अस्सी हजार) के समतुल्य सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान के 25 गुणा अर्थात 8,23,50,000/–(रू० आठ करोड़ तेईस लाख पचास हजार) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 14,82,30,000/–(रू० चौदह करोड़ बेरासी लाख तीस हजार) के एकमुश्त भुगतान पर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

30. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

31. गया जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०–02 (औरंगाबाद से बरवाअड्डा) के छः लेनों में परिवर्त्तन हेतु विभिन्न अंचलों के विभिन्न मौजों के विभिन्न थाना, खाता एवं खेसरा की कुल–26.1065 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार भूमि, (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए० आई०) को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण।

31. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

32. जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल काको के मौजा–नारायणपुर, थाना सं०–440, खाता सं०–181, खेसरा सं०–926 रकबा–060 एकड़ गैरमजरूआ मोकरीदार व्यवसायिक भूमि 80,000 रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 48,00,000/–(अड़तालीस लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 60,00,000/–(साठ लाख) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,08,00,000/–(एक करोड़ आठ लाख) रू० के भुगतान पर विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।

32. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

33. प० चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल बगहा–2 के मौजा–सिंघाव, थाना सं०–64, खाता सं०–03, खेसरा सं०–365/1, रकबा–0.50 एकड़ नवैयत गैरमजरूआ मालिक किस्म जमीन परती कदीम भूमि को 2700/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,35,000/–रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत व्यावसायिक लगान का 25 गुणा अर्थात्– 1,68,750/–रू० पूंजीकृत मूल्य सिहत कुल– 303750/–रू० के एकमुश्त भुगतान पर स्पेशल प्लान बी०आर०जी०एफ० फेज–II योजना के अन्तर्गत नार्थ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

33. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 के प्रावधानानुसार भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के अन्तर्गत निबंधक के कुल–09 पदों का स्थायी सृजन।

34. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

35. श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन तथा अपर श्रमायुक्त का 1 (एक), श्रम अधीक्षक का 2 (दो) एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 22 (बाइस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

35. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

36. बीड़ी निर्माण श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2007 के वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान मद के रूप में प्रावधानित रूपये 40,00,000/–(रूपये चालीस लाख) पर अवधि विस्तार/व्यय की स्वीकृति।

36. स्वीकृत।